न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या :05/2021

मिथलेश पुत्री रामचरण पत्नी कौशल किशोर जाति धाकड निवासी भटेडिया
हाल निवास शाहपुरा तहसील मांगरोल

.....प्रार्थीया

बनाम

01. रामचरण पुत्र प्रभूलाल जाति धाकड निवासी भटेडिया तहसील मांगरोल
02. योगेश पुत्र रामचरण जाति धाकड निवासी भटेडिया तहसील मांगरोल
03. ममता पुत्री रामचरण पत्नी गिर्राज प्रसाद जाति धाकड निवासी भटेडिया तहसील मांगरोल हाल निवास किशनपुरा
04. रेखा पुत्री रामचरण पत्नी विनोद कुमार जाति धाकड निवासी भटेडिया तहसील मांगरोल हाल निवास शाहपुरा
05. ज्योति पुत्री रामचरण जाति धाकड निवासी भटेडिया तहसील मांगरोल
06. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ0 टी0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)

वकील प्रार्थीया : श्री अमित कुमार गौड एवं श्री विकास पोरवाल

वकील अप्रार्थीगण : श्री श्याम पारेता

दायरा दिनांकः 23.02.2021 निर्णय दिनांक : 29.11.2022

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण बिन्दुवार निम्न प्रकार हैः–

1. यह कि प्रार्थीया अप्रार्थी कम 1 की पुत्री है जो विवाह पश्चात वर्तमान में ग्राम शाहपुरा तहसील मांगरोल में निवास कर रही है।
2. यह कि प्रार्थीया की पैतृक व पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम भटेडिया व चक भटेडिया तहसील मांगरोल में स्थित है जो प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी कम 1 के खाते दर्ज है जिसे वाद–पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया गया है।
3. यह कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 109 खसरा नं0 105 रकबा 0.35 हे0, खसरा नं0 125 रकबा 0.03 हे०, खसरा नं0 138 रकबा 0.06 हे0, खसरा नं0 141 रकबा 0.02 हे0, खसरा नं0 146 रकबा 0.07 हे०, खसरा नं0 305 रकबा 1.24 हे0, खसरा नं0 405 रकबा 2.42 हे0, खसरा नं0 406 रकबा 0.15 हे0, खसरा नं0 427 रकबा 0.07 हे0. खसरा नं0 89 रकबा 0.03 हे0 कुल किता 10 कुल रकबा 4.44 हे० वाके ग्राम भटेडिया तहसील मांगरोल में स्थित है उक्त आराजी पैतृक व पुश्तैनी आराजी है जिसमें अप्रार्थी कम 1 का नाम बतोर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

Scanned by CamScanner

कि इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 60 खसरा नं0 141 रकबा 1.68 0, खसरा नं0 156 रकबा 0.30 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.98 हे0 वाके ग्राम चक भटेडिया तहसील मांगरोल में स्थित है उक्त आराजी भी पैतृक व पुश्तैनी आराजी है जिसमें अप्रार्थी कम का नाम बतोर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

5. यह कि प्रार्थीया अप्रार्थी कम 1 ता 5 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से है:–

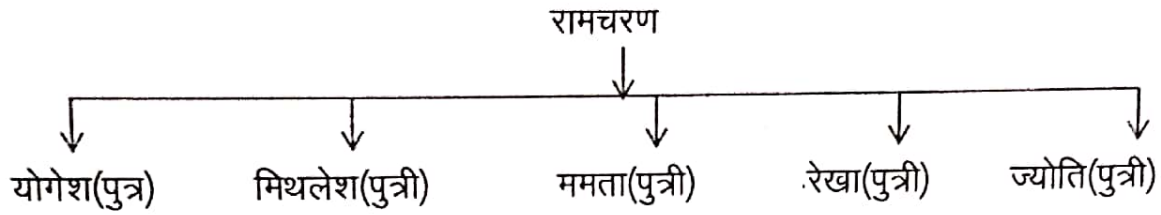

6. यह कि उक्त पारिवारिक सजरे से स्पष्ट है प्रार्थीया अप्रार्थी कम 1 की पुत्री है तथा प्रार्थीया के 1 भाई व 4 बहिने है। वाद में वर्णित विवादित आराजी जो अप्रार्थी कम 1 को विरासत में प्राप्त हुयी है जो प्रार्थीया व अप्रार्थी कम 1 ता 5 की पुश्तैनी व पैतृक आराजी में जिसमें प्रार्थीया का जन्म से ही हक अधिकार निहित है।

7. यह कि वाद–पत्र की मद नं0 3 व 4 में वर्णित विवादित आराजी जो अप्रार्थी कम 1 को अपने पिता व दादा से विरासत में प्राप्त हुयी है इस प्रकार उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीया की पुश्तैनी व पैतृक आराजी है जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/6 पर विधिक अधिकार प्राप्त है जिसे प्रार्थीया अपने खाते दर्ज करवाकर स्वयं को हिस्सा 1/6 की खातेदार घोषित करवाने की कानूनन अधिकारी व नालिसी है।

8. यह कि अप्रार्थी कम 1 नाम उक्त वर्णित पैतृक आराजी के अलावा अन्य आराजी खसरा नं0 405 रकबा 2.42 हे0 में से 0.89 हे0, खसरा नं0 406 रकबा 0.15 हे0, खसरा नं0 202/445 रकबा 0.08 हे0 ग्राम भटेडिया तहसील मांगरोल में स्थित आराजी जिसका बेचान अप्रार्थी कम 1 द्वारा दिनांक 29.12.2020 को किया जा चुका है जिसका विधिक अधिकार अप्रार्थी कम 1 को प्राप्त नही था क्योकि बेचान शुदा आराजी भी प्रार्थीया व अप्रार्थीगण की पैतृक व पुश्तैनी आराजी थी अब अप्रार्थी कम 1 बाद में वर्णित आराजी को भी बेचान करने पर आमादा है। अप्रार्थी कम 1 प्रार्थीया व अन्य अप्रार्थीगण की पैतृक आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो रहा है इसलिए प्रार्थीया के लिए यह आवश्यक हो गया है कि अपना पैतृक हक अधिकार सुरक्षित रखने के लिए उक्त वर्णित आराजी में अपने हिस्से की आराजी हिस्सा 1/6 पर स्वयं को खातेदार घोषित करवाये जिसकी प्रार्थीया कानूनन अधिकारी व नालिसी है।

9. यह कि अप्रार्थी कम 1 वाद में वर्णित आराजी को रहन बेचान वं अन्य प्रकार से खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो रहा है इसलिए प्रार्थीया के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय से अप्रार्थी कम 1 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करें जिसकी प्रार्थीया कानूनन अधिकारी व नालिसी है।

10. यह कि प्रार्थीया ने अप्रार्थी कम 1 से शेष बची आराजी जो बाद पत्र में वर्णित है उसमें से उसका हिस्सा 1/6 उसके नाम दर्ज करवाने का निवदेन दिनांक 02.02.2021 को किया तो अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थीया से लडाई झगडे पर आमदा हुआ तथा प्रार्थीया को धमकी दी कि आराजी मेरे नाम दर्ज है जिसको में बेचान करके रहूंगा इसलिए प्रार्थीया द्वारा अपना हक सुरक्षित करवाने के लिए माननीय न्यायालय में वाद/प्रार्थना–पत्र पेश कर अप्रार्थी कम 1 के

उपखण्ड

Scanned by CamScanner

रुद्ध माननीय न्यायालय से ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी व नालिसी है।

11. यह कि प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र ठोस तथ्यों पर आधारित है जो प्रथम दृष्टया ही साबित है क्योकि प्रार्थीया अप्रार्थी कम 1 की जायज पुत्री है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है क्योकि विवादित आराजी प्रार्थीया की पुश्तैनी व पैतृक आराजी है। जिसमें प्रार्थीया का हक अधिकार जन्म से निहित है जिसको अप्रार्थी समाप्त करना चाहता है तथा आराजी को रहन बेचान करना चाहता है अगर अप्रार्थी प्रार्थीया की पुश्तैनी व पैतृक आराजी को रहन बेचान व अन्य प्रकार से खुर्द बुर्द करने में सफल हो गया तो प्रार्थीया को अपने हक अधिकार की आराजी से महरूम होना पडेगा जिससे प्रार्थीया को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी भी प्रकार किया जाना संभव नहीं होगा।

12. यह कि अन्य कारण दोराने बहस मौखिक निवेदन किये जावेगे।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि बहक प्रार्थीया व विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी कम 1 अपने खाते दर्ज आराजी खाता संख्या 109 किता 10 रकबा 4.44 हे0 ग्राम भटेंडिया तहसील मांगरोल व आराजी खाता संख्या 60 की किता 2 रकबा 1.98 हे0 ग्राम चक भटेडिया तहसील मांगरोल को रहन बेचान या अन्य प्रकार से खुर्द बुर्द नही करें। ऐसा कार्य न तो स्वयं करें न ही अपने किसी प्रतिनिधी से करावे ।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 23.02.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण कम 1 ता 5 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण कम 1 ता 5 की ओर से जवाबा प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका बिन्दुवार संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

1. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं० 1 स्वीकार है। अप्रार्थी कम द्वारा प्रार्थीया का विवाह अपनी हेसियत से बढ़कर अन्य व्यक्तियों से कर्जा लेकर साधन सम्पन्न परिवार में कर उसको ससुराल के लिए विदा कर दिया था।
2. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं0 2 जिस प्रकार से लिखी गयी है अस्वीकार है अप्रार्थी कम 1 के नाम दर्ज आराजी विवादित आराजी नही है जो अप्रार्थी कम 1 के तन्हा खाते दर्ज है।
3. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं0 3 में वर्णित आराजी ग्राम भटेडिया में स्थित होना व अप्रार्थी कम 1 के नाम खातेदारी में दर्ज होना स्वीकार है शेष तथ्य अस्वीकार है।
4. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं0 4 में वर्णित आराजी ग्राम भटेडिया में स्थित होना व अप्रार्थी कम 1 के नाम खातेदारी में दर्ज होना स्वीकार है शेष तथ्य अस्वीकार है।
5. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं0 5 में वर्णित सजरा स्वीकार है।
6. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं0 6 में वर्णित तथ्य प्रार्थीया का अप्रार्थी क्रम 1 की पुत्री होना व प्रार्थीया के 1 भाई व 4 बहिने होना स्वीकार है। शेष तथ्य अस्वीकार है।
7. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं0 7 जिस प्रकार से लिखी गयी है अस्वीकार है और कथन है कि खातेदार के जीवित होते किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी प्रकार का अधिकार सम्पत्ति में नहीं होता है।

Scanned by CamScanner

यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं0 8 जिस प्रकार से लिखी गयी है अस्वीकार है खातेदार के जीवित होते किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी प्रकार का अधिकार सम्पत्ति में नही होता है।

9. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं0 9 अस्वीकार है। विधि के प्रावधानो व प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार किसी भी रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध किसी प्रकार की स्थायी या अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीया प्राप्त करने की अधिकारी नही है ।
10. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं0 10 मनगढन्त कथनो के आधार पर अंकित होने से अस्वीकार है। वाद व प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी कम 1 के खाते की आराजी है जिसका वह रिकार्डेड खातेदार है और रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध किसी भी प्रकार की स्थायी व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नही है।
11. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं0 11 अस्वीकार है प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र ठोस तथ्यो पर आधारित नही है क्योकि आराजी अप्रार्थी कम 1 के खाते दर्ज है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में नही है क्योकि अप्रार्थी कम 1 को अभी अपने अन्य वारिसान के शादी विवाह करने है अगर अप्रार्थी कम 1 के विरुद्ध किसी प्रकार की स्थायी व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं तो अप्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार किया जाना संभव नहीं होगा।
12. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं0 12 का जवाब बहस के दोरान मौखिक निवेदन किया जावेगा। प्रार्थना प्रार्थीया अस्वीकार है।

जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण कम 1 ता 5 द्वारा विशेष कथन भी पेश किये जो बिन्दुवार निम्नानुसार हैः–

1. यह कि प्रार्थीया अप्रार्थी कम 1 की पुत्री है जिसकी परवरिश में अप्रार्थी कम 1 ने किसी प्रकार की कोई कमी नही रखी प्रार्थीया की शादी में अपनी हेसियत से बढकर कर्जा लेकर काफी पैसा खर्च अप्रार्थी क्रम 1 किया है गृहस्ती की प्रत्येक वस्तु प्रार्थीया को दी है तथा द्वारा खर्च शादी के बाद अप्रार्थी कम 1 ने जामणा, मौसाला आदि अन्य सामाजिक कार्यक्रमो काफी पेसा खर्च कर चुका है। प्रार्थीया द्वारा अपने पति के दबाव में आकर यह प्रार्थना माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया व अन्य वारिसान की पढाई लिखाई व विवाह खर्च में अप्रार्थी कम 1 काफी पैसा खर्च कर चुका है जिसके कारण अप्रार्थी कम 1 के ऊपर काफी कर्जा हो रहा है। प्रार्थीया अप्रार्थी कम 1 के जीवनकाल में उसके खाते दर्ज आराजी में किसी प्रकार का कोई हिस्सा लेने की अधिकारी नही है। इसलिए प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना खारीज किये जाने योग्य है।
2. यह कि अप्रार्थी कम 1 को प्रार्थीया की तरह अपनी अन्य पुत्रीयो के लिए शादी विवाह व अन्य पारिवारिक कार्यक्रमो का निवर्हन करना शेष है इसलिए प्रार्थीया पिता के जीवनकाल में उसके नाम दर्ज सम्पत्ति में किसी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी नही लें।
3. यह कि अप्रार्थी कम 1 आराजी का रिकार्डेड खातेदार है व विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तो व प्रावधानों के अनुसार किसी भी रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त नही की जा सकती है।

Scanned by CamScanner

अतः जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र सव्यय खारीज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी। बहस में वकील पक्षकारान द्वारा उन्ही तथ्यों को दौहराया जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित किये गये है। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। सम्पुर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओ को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

1. **प्रथम दृष्टया मामला** : प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 व 5 में वर्णित आराजी को रहन–बेचान करने से रोकने हेतु अप्रार्थी कम 1 ता 5 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। प्रार्थीया मिथलेश अप्रार्थी कम 1 की जायज पुत्री है इस प्रकार प्रार्थीया मिथलेश का विवादित आराजी जो कि पैतृक व पुश्तैनी आराजी है, में हक अधिकार निहित है। प्रार्थीया के विवादित आराजियात में हक अधिकार की घोषणा मूल वाद मे तय की जायेगी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा भूमि के रहन बेचान करने पर न केवल प्रार्थीया को पैतृक संपत्ति से वंचित होना पडेगा अपितु अनावश्यक वादकरण भी बढेगा। अनावश्यक वादकरण को रोकने को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है।
2. **अपूर्णनीय क्षति** : यदि अप्रार्थीगण कम 1 ता 5 द्वारा भूमि का रहन–बेचान, हस्तान्तरण किया जाता है तो प्रार्थी को अपने हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति बिन्दू भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है।
3. **सुविधा का संतुलन** : चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति का बिंदु प्रार्थीया के पक्ष में है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है।

अतः प्रार्थना पत्र, बहस वकील पक्षकारान, संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रिकोर्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण कम 1 ता 5 के विरूद्ध ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण कम 1 ता 5 खाता संख्या 109 खसरा नं0 115 रकबा 0.35 हे0, खसरा नं0 125 रकबा 0.03 हे0, खसरा नं0 138 रकबा 0.06 हे0, खसरा नं0 141 रकबा 0.02 हे0, खसरा नं0 146 रकबा 0.07 हे०, खसरा नं0 305 रकबा 1.24 हे0, खसरा नं0 405 रकबा 2.42 हे0, खसरा नं0 406 रकबा 0.15 हे0, खसरा नं0 427 रकबा 0.07 हे0. खसरा नं0 89 रकबा 0.03 हे0 कुल किता 10 कुल रकबा 4.44 हे० वाके ग्राम भटेडिया तहसील मांगरोल एवं खाता संख्या 60 खसरा नं0 141 रकबा 1.68 हे0, खसरा नं0 156 रकबा 0.30 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.98 हे0 वाके ग्राम चक भटेडिया तहसील मांगरोल भूमि का रहन, बेचान व हस्तान्तरण न करे, ना ही ऐसा अपने प्रतिनिधि से करावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील शामिल मूल वाद हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2022 को खुले न्यायालय में मजमेआम सुनाया गया।

Scanned by CamScanner